

आदेश

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्वल योजना 2024 हेतु विभागीय पत्रांक 25079 दिनांक 05.12.2024 द्वारा जारी दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या-9 आवेदन एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया में निम्न संशोधन एतद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

बिन्दु संख्या 9 के उप बिन्दु संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
III	आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन सबमिट करने पर जनाधार में उपलब्ध/अंकित जिले के आधार पर स्वतः ही आवेदन सम्बंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की आईडी पर अग्रेषित/प्रदर्शित होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आवेदन सही पाये जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा किये गये चुनाव अनुसार प्राधिकृत चिकित्सा संस्थान (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर अथवा जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर) को अग्रेषित किया जायेगा।	आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन सबमिट करने पर आवेदक द्वारा किये गये चुनाव अनुसार प्राधिकृत चिकित्सा संस्थान (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर अथवा जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर) की आईडी पर प्रदर्शित होगा।
X	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्तर से तीन बार से अधिक बार आवेदन निरस्त किये जाने पर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन करने पर ऐसे आवेदन पोर्टल पर अलग से प्रदर्शित होंगे एवं सीधे ही प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी स्तर पर प्रदर्शित होंगे।	उक्त बिन्दु को विलोपित किया जाता है।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 162500733 दिनांक 07.04.2025 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.15 (3) (237) सा.सु./मु.आ.बाल सं./सान्याअवि/2024/33301-16

जयपुर, दिनांक : 30/04/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
- महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
- समस्त संभागीय आयुक्त,
- समस्त जिला कलेक्टर,
- उप शासन सचिव, वित्त, वित्त व्यय-2, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर।

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.04.28 16:08:59 IST
Reason: Approved

8. प्रभारी अधिकारी जे.के. लोन अरपताल, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, सान्याअवि, मुख्यावास।
10. समस्त अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि, मुख्यावास।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,।
- ✓ 12. संयुक्त निदेशक, (आई.टी.), सान्याअवि, मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं योजना पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान लागू करने हेतु प्रेषित।
13. समस्त संयुक्त/उप निदेशक/सहायक निदेशक सान्याअवि,।
14. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग,.....।
15. समस्त ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि,।
16. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Baomanesh
Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.04.28 16:08:59 IST
Reason: Approved